

आवश्यक सूचना

वर्ष 2014-15 के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना द्वारा प्रकाशित सूची संभावित सूची है। सूची में प्राइवेट स्कूल के वैसे छात्र/छात्राओं को ही प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि देय होगी, जिनके विद्यालय को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से Affiliation प्राप्त है। संबंधित लाभुकों को सम्पूर्ण राशि सत्यापन के उपरांत NEFT के माध्यम से उनके खाता में भेजा जायेगा। यदि छात्र/छात्राओं के नाम से बैंक खाता संधारित नहीं है तो उनके माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जा सकती है। इसलिए लाभुकों से अनुरोध है कि सत्यापन के समय अपने Bank pass book का छायाप्रति जिसमें खाता संख्या और IFSC Code अंकित हो वो शीघ्रतः अपने प्रधानाध्यापक के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय नालन्दा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।